

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2026—वैशाख 18, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/93//2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 मार्च 2026

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2026 का सूचना तथा कार्यक्रम

No. GENS/8021/2026-Home Section.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2026, दिनांक 03 अगस्त, 2026 से दिनांक 10 अगस्त, 2026 तक रायपुर/दुर्गा/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें :—

सोमवार, दिनांक 03-08-2026

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	प्रथम प्रश्न पत्र-दाण्डक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
3.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
4.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
5.	प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के), सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	Paper-1, "Electrical Laws (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
सोमवार, दिनांक 03-08-2026		
6.	द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	द्वितीय प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
60.	Paper-2, "Earthing and Electrical Safety (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 04-08-2026

(1)	(2)	(3)
9.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए”, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), भाग-“बी” सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
11.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“सी” सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
12.	प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
14.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
61.	Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
मंगलवार, दिनांक 04-08-2026		
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
19.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
62.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 05-08-2026

(1)	(2)	(3)
20.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
22.	प्रश्न प्रथम पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिए	
63.	Paper-5 “Switchgear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
बुधवार, दिनांक 05-08-2026		
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
27.	प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिए	
28.	द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
29.	तृतीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	
30.	प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
31.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
32.	प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	Paper-6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 06-08-2026

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
34.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
गुरुवार, दिनांक 06-08-2026		
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 07-08-2026		
45.	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) भाग-1, पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
46.	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) भाग-1, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि विभाग के कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	

प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 01.00 बजे तक.

दोपहर 02.00 बजे से
शाम 05.00 बजे तक.

प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 07-08-2026		दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
51.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), भाग-2 पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	प्रश्न पत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि विभाग के कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	तृतीय प्रश्न पत्र -अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु.जन.जाति) विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
शनिवार, दिनांक 08-08-2026 एवं रविवार, दिनांक 09-08-2026 को शासकीय अवकाश		
सोमवार, दिनांक 10-08-2026		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

- सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रमाण पत्रों को गृह सी-विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय को नहीं भेजे जावें। संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-03-2026 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा चंपावत, सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 अप्रैल 2026

क्रमांक File No.-Rule-3016/11/2025-MRD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म सेवा श्रेणी एक एवं श्रेणी दो सेवा भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक में,—

- (क) शीर्षक वर्ग-एक के अन्तर्गत, सरल क्रमांक 4 व 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“4.	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	5	वर्ग-एक	लेवल-14
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	13	वर्ग-एक	लेवल-13”

- (ख) शीर्षक वर्ग-दो के अन्तर्गत, सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2.	खनि अधिकारी	33	वर्ग-दो	लेवल-12”

2. अनुसूची-दो में,—

(क) शीर्षक वर्ग-एक के अन्तर्गत, सरल क्रमांक 4 व 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“4.	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	5	—	100%	—	—
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	13	—	100%	—	—”

(ख) शीर्षक वर्ग-दो के अन्तर्गत, सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“3.	खनि अधिकारी	33	50%	50%	—	—”

File No. Rule-3016/11/2025-MRD.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in Chhattisgarh Geology and Mining, Class I and II Service Recruitment Rules, 2005, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, :—

1. In Schedule-I,—

(a) For serial number 4 and 8 and entries relating thereto under Heading Class-I, the following serial number shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“4.	Joint Director (Mineral Administration)	05	Class-I	Level-14
8.	Deputy Director (Mineral Administration)	13	Class-I	Level-13”

(b) For serial number 2 and entries relating thereto under Heading Class-II, the following serial number shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2.	Mining Officer	33	Class-II	Level-12”

2. In Schedule-II,—

(a) For serial number 4 and 8 and entries relating thereto under Heading Class-I, the following serial number shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“4.	Joint Director (Mineral Administration)	5	—	100%	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Deputy Director (Mineral Administration)	13	—	100%	—	—”

(b) For serial number 3 and entries relating thereto under Heading Class-II, the following serial number shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“3.	Mining Officer	33	50%	50%	—	—”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरोज उईके, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मुंगेली, दिनांक 16 अप्रैल 2026

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 12/अ-82/2025-26.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली	0.025 हे.	सी.सी. रोड निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 15-05-2026 को (समय) 11:00 बजे (स्थान) तहसील कार्यालय मुंगेली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 01. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | आम जनता के आवागमन की सुविधा की दृष्टिगत से निर्मित सड़क 1. मुख्यमार्ग से रामगढ़ पहुंच मार्ग (जिला चिकित्सालय मुंगेली पहुंच मार्ग) को जोड़ता है. 2. रामगढ़ पहुंच मार्ग से बुधवारी बाजार में पहुंच मार्ग है. 3. रामगढ़ पहुंच मार्ग से सतनाम भवन पहुंच मार्ग है. उक्त मार्ग में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की आवाजाही होती है. |
| 02. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | एक परिवार |
| 03. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | निरंक |
| 04. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | प्रभावित क्षेत्र में 106 निजी मकान एवं 03 सी.सी. सड़क निर्मित है. |
| 05. | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | 03 शासकीय भवन एवं 05 परिसंपत्तियां |

06.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
07.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
08.	परियोजना की कुल लागत	—	निर्मित 03 सी.सी. सड़क की कुल लागत लगभग 13.00 लाख है.
09.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आम जनता के आवागमन की सुविधा की दृष्टिगत से जिला चिकित्सालय मुंगेली जाने के लिए, बुधवारी बाजार जाने के लिए एवं सतनाम भवन जाने के लिए सड़क निर्मित है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	गणना किया जाना है
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	आवागमन के दृष्टिगत से जनहित में उचित है.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 616/07/अ-82/2024-2025. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	कापू	समनिया प.ह.नं. 11	0.254	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	समनिया पत्थलगांव खुर्द मार्ग पर सांगुल नाला में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th November 2025

No. 21606/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Present Civil District (4)
1.	Shri Arpit Gupta, J.M.S.C., Raipur		
2.	Ku. Mansi Bist, J.M.S.C., Raipur		
3.	Ku. Mini Thakur, J.M.S.C., Raipur		
4.	Ku. Riddhi Burad, J.M.S.C., Raipur		
5.	Shri Om Chauhan, J.M.S.C., Raipur		
6.	Shri Siddharth Dewangan, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
7.	Ku. Ankita Deodas, J.M.S.C., Raipur		
8.	Shri Cholukya Yadav, J.M.S.C., Raipur		
9.	Ku. Shraddha Bhagat, J.M.S.C., Raipur		
10.	Ku. Pragati Gurde, J.M.S.C., Raipur		
11.	Ku. Payal Meravi, J.M.S.C., Raipur		
12.	Ku. Eeshanee Awadhiya, J.M.S.C., Durg		
13.	Ku. Muskan Sharma, J.M.S.C., Durg		
14.	Ku. Vaishali Baghel, J.M.S.C., Durg		
15.	Ku. Angel Vamico Tigga, J.M.S.C., Durg		
16.	Ku. Ritika Dhidhi, J.M.S.C., Durg	Durg	Durg
17.	Shri Pankaj Sharma, J.M.S.C., Durg		
18.	Ku. Ruchika Maheshwari, J.M.S.C., Durg		
19.	Ku. Akanksha Singh, J.M.S.C., Durg		
20.	Shri Rahul Sori, J.M.S.C., Durg		

By Order of the Hith Court,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्रमांक 683/दो-2-4/2018.—श्री श्याम लाल नवरत्न, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्रमांक 684/दो-3-25/2013.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्रमांक 686/दो-3-35/2007.—श्री रमाशंकर प्रसाद, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, बजट अधिकारी.
